तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन पत्र संख्या 67/2021 अनवान श्रीराम बनाम कालूराम
	राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान ग्राम पंचायत मुख्यालय कुड़ला पर जरिये नोटिस तलब होकर दिनांक 12.10.2021 को ग्राम पंचायत मुख्यालय, कुड़ला पर पत्रावली पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, (एसडीओ) बाड़मेर
12.10.2021	पत्रावली ग्राम पंचायत मुख्यालय कुड़ला राजकीय माध्यमिक विधालय कुड़ला पर पेश हुई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अप्रार्थीगण के नॉटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके है। अप्रार्थीगण आज सूचना बावजूद अनुपस्थित होने से उनके विरूद्व ईकतरफा कार्रवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी ने भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111, 128 के तहत् प्रकरण प्रस्तुत किया। प्रार्थी ने अपने खातेदारी खेत मौजा बेरीवाला गांव पटवार क्षैत्र कुड़ला तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 760/58 रकबा 2.10 बीघा, खसरा नंबर 761/58 रकबा 55.11 बीघा भूमि के अभिलिखत खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाना चाहता है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है। अतः मौजा बेरीवाला गांव पटवार क्षैत्र कुड़ला तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 760/58 रकबा 2.10 बीघा, खसरा नंबर 761/58 रकबा 55.11 बीघा भूमि भूमि अभिलिखत खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुऐ एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाड़मेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश मजमे आम में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी, (एसडीओ) बाड़मेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 राजकीय माध्यमिक विधालय कुड़ला

प्रार्थीगण

1 श्रीराम पुत्र गोमदाराम जाति जाट निवासी बेरीवाला गांव कुड़ला तहसील एवं जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1 कालूराम पुत्र भैराराम 2 प्रकाश पुत्र भैराराम 3 इमियों पत्नी भैराराम 4 वालाराम पुत्र अमराराम 5 लालाराम पुत्र अमराराम जाति जाट निवांसी बेरीवाला गांव कुड़ला तहसील एवं जिला बाड़मेर 6 हेमसिंह पुत्र सबलसिंह 7 गगासिंह पुत्र हेमसिंह जाति राजपूत निवासी बाड़मेर आगौर तहसील एवं जिला बाड़मेर 8 रामूदेवी पत्नी सांगाराम जाति जाट निवासी बलदेव नगर बाड़मेर 9 मीनादेवी पत्नी खैराजराम जाति खत्री निवासी बलदेव नगर 10 मंगलसिंह पुत्र कानसिंह 11 लुणसिंह पुत्र कानसिंह 12 इन्द्रसिंह पुत्र मोबतसिंह 13 तुलछसिंह पुत्र मोबतसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी लालाणियों की ढ़ाणी तहसील बाड़मेर 14 दिनेश कुमार पुत्र मांगीलाल 15 महावीर पुत्र मांगीलाल 16 चिमाराम पुत्र अमराराम 17 धुड़ाराम पुत्र अमराराम जाति जाट निवासी कुड़ला तहसील बाड़मेर 18 मगनाराम पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी कपूरड़ी तहसील बाड़मेर 19 जोगाराम पुत्र मेहाराम जाति जाट निवासी सुथारों का तला तहसील बाड़मेर 20 खींयाराम पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी घोनरी नाड़ी तहसील बाड़मेर 21 वीरमाराम पुत्र नंदराम जाति जाट निवासी इन्द्रावास खड़ीन तहसील रामसर 22 पोकराराम पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी सोडियार तहसील चौहटन 23 भंवरी पत्नी बाबूलाल जाति जाट निवासी तारातरा तहसील चौहटन 24 रावताराम पुत्र भगाराम 25 मूलाराम पुत्र अचलाराम जाति जाट निवासी हुड़ों की ढ़ाणी हुडासर तहसील चौहटन 26 नानगाराम पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी गोमाणियों की ढ़ाणी हुड़ासर तहसील चौहटन 27 सुरताराम पुत्र करनाराम जाति जाट निवासी जोणियों की ढ़ाणी रतासर डेर तहसील चौहटन 28 गिरधारीलाल पुत्र जसाराम जाति जाट निवासी समदड़ी रोड़ बालोतरा तहसील पचपदरा 29 कमला चौधरी पत्नी प्रवीण कुमार जाति जाट निवासी रामनगर बाड़मेर आगौर तहसील एवं जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत्

राजस्व आवेदन संख्या–67/2021 **दिनांक–12.10.2021**

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बेरीवाला गांव पटवार क्षैत्र कुड़ला तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 760/58 रकबा 2.10 बीघा, खसरा नंबर 761/58 रकबा 55.11 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर

दिनांक– 12/10/2021

क्रमांक/रीडर/2021/ 6019–6022

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कुड़ला तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्रीराम पुत्र गोमदाराम जाति जाट निवासी बेरीवाला गांव कुड़ला तहसील एवं जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण कालूराम पुत्र भैराराम वगैराह जातियान जाट निवासीयान बेरीवाला गांव, कुड़ला तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर